भारत में सतत विकास

– समीक्षा और आगे की प्रक्रिया

नीतिगत सार

VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR
VANI

HEINRICH
BÖLL
STIFTUNG
INDIA

वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)

भारत में सतत विकास – समीक्षा और आगे की प्रक्रिया

लेखन : डेवलपमेंट आल्टरनेटिव्स (डी.ए.)

अक्टूबर 2014

कॉपीराइट © वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
इस पुस्तक की विषय वस्तु की प्रकाशक का उचित आभार प्रकट करते हुए पूर्ण या आंशिक रूप से पुनः मुद्रित किया जा सकता है।

सहयोग : "हेनरिक बोल फाउंडेशन (एचबीएफ)

हिन्दी अनुवाद : डॉ. यश चौहान

प्रकाशक:
वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
बीबी–5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश इन्क्लेव 2,
नई दिल्ली 110 048
फोन : 011–29228127, 29226632
टेलिफैक्स : 011–41435535
ईमेल : info@vaniindia.org
वेबसाइट : www.vaniindia.org

मुद्रक:
प्रिंट वर्ल्ड # 9810185402
ईमेल : printworld96@gmail.com

VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR
VANI

HEINRICH BÖLL STIFTUNG INDIA

भारत में सतत विकास

– समीक्षा और आगे की प्रक्रिया

वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)

बीबी–5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश इन्क्लेव 2

नई दिल्ली – 110 048

फोनः 011–29228127, 29226632 टेलिफैक्सः 011–41435535

ईमेलः info@vaniindia.org ; वेबसाइटः www.vaniindia.org

आमुख

भारत विश्व की एक सबसे अधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में और दक्षिण–दक्षिण सहयोग के ढांचे के एक नेता के रूप में अतंर्राष्ट्रीय मंच पर प्रमुखता हासिल करता जा रहा है। ब्रिक्स, जी–20 और इबसा जैसे मंचों के माध्यम से भारत अपने आप को 2015 के बाद के विकास मुद्दों को प्रभावित करने और रूप प्रदान करने की स्थिति में पा रहा है। इन मंचों पर भारत की आवाज को प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के लिए यह जरूरी है कि उसके स्वैच्छिक क्षेत्र के अनुभव और सरोकारों को ध्यान में रखा जाए। इसी के साथ भारत के स्वैच्छिक क्षेत्र को भूमंडलीय मुद्दों की पेचीदगियों को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाली परिचर्चाओं और प्रक्रियाओं को समझना होगा।

इसी संदर्भ में वाणी ने अपने साझेदार संगठनों के साथ मिल कर इन चार विषयगत मुद्दों पर अध्ययन कराएरू समावेशपूर्ण विकास, वित्तीय समावेश, सतत विकास और भ्रष्टाचार तथा अभिशासन। इन अध्ययनों के फलस्वरूप प्रशिक्षित चार रिपोर्टों का उद्देश्य भारत के स्वैच्छिक क्षेत्र की ओर से 2015 के बाद के एजेंडा के लिए महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान कराना है; और इस उद्देश्य से इन्हें संबंधित मंत्रालयों और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कों की सामग्री में जोड़ा जाएगा।

यह महसूस किया गया कि रिपोर्टों को व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए नीतिगत सारांशों के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद नीतिगत सारांशों का हिन्दी में अनुवाद भी किया गया। हमें आशा है कि इन नीतिगत सारांशों के माध्यम से हम भारत में छोटी और जमीनी स्तर की संस्थाओं को कार्य में संलग्न करके, शिक्षित और प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों और निर्णय प्रक्रियाओं के बारे में उनके बीच मौजूद कमियों को दूर करके कर सकते हैं और घरेलू और भूमंडलीय स्तर पर स्वैच्छिक क्षेत्र की आवाज को प्रस्तुत कर सकते हैं।

हर्ष जेतली
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

साझेदार संगठन	लेखक	विषयगत मुद्दा	शीर्षक
वादा न तोड़ो अभियान	राहुल बैनर्जी	समावेशपूर्ण संवृद्धि	बहिष्कृत लोगों को शामिल करना – भारत में समावेशपूर्ण संवृद्धि सुनिश्चित करना
डेवलपमेंट आल्टरनेटिव्स	डेवलपमेंट आल्टरनेटिव्स	सतत विकास	भारत में सतत विकास – समीक्षा और आगे की प्रक्रिया
सोसायटी फॉर पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (प्रिया)	मनोज राय	भ्रष्टाचार और अभिशासन	भारत में भ्रष्टाचार और अभिशासन – वर्तमान स्थिति और आगे की प्रक्रिया
कंफड़रेशन ऑफ वालंटरी एसोसिएशनस (कोवा)	डॉ. मज़हर हुसैन, रॉबरटो ज़ी लस्करॉवॉट, एम. मुरली कृष्णा	वित्तीय समावेश	वित्तीय समावेश की आलोचनात्मक समीक्षा – भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए जी 20 के देश

सतत विकास

सतत विकास की चुनौतियां

ब्रंड्टलैंड आयोग (1987) ने सतत विकास को इस प्रकार परिभाषित किया था – "ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों की पूर्ति की क्षमता से समझौता किये बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करे।"

सतत विकास पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताएं

नीचे भारत जिन कुछ प्रमुख समझौतों का हस्ताक्षर रहा है उन पर तथा सतत विकास के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा की गई है।

1) भारत को विषयगत नेटवर्क कार्यक्रम (टीपीएन) के अंतर्गत कृषि वनन और मृदा संरक्षण पर एशियाई क्षेत्र कार्रवाई कार्यक्रम के लिए राष्ट्र संघ कंवेशन टू कांबेट डेजर्टिफिकेशन (यूएनसीसीडी) द्वारा मेजबान देश पदनामित किया गया है। यूएनसीसीडी 1997 में अस्तित्व में आया था और इसके सभी सदस्य देशों का दायित्व है कि वे रेगिस्तानीकरण और सूखे से संबंधित समस्त मुद्दों को हल करने के लिए एक कार्य–योजना बनायें।

2) भारत ने 2002 जैविक विविधता अधिनियम तैयार किया और 2004 में नियमावली को अधिसूचित किया ताकि जैव विविधता कंवेशन के प्रावधानों को व्यवहार में उतारा जा सके। इस अधिनियम का कार्यान्वयन एक तीन स्तरीय संस्थागत ढांचे के माध्यम से किया जायेगाः राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए), राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबीज), जैव विविधता प्रबंधन समितियां (बीएमसीज)। यह संविधान में निहित विकेंद्रित अभिशासन के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

3) भारत ने 10 जून 1992 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्र संघ फ्रेमवर्क कंवेंशन (यूएनएफसीसीसी) पर भी हस्ताक्षर किये और एक नवम्बर 1993 को इसकी पुष्टि की। यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत भारत जैसे विकासशील देशों की बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) संबंधी प्रतिबद्धताएं नहीं हैं, पर अलग दायित्व और संबंधित क्षमता (सीबीडीआर) है। जैसा कि कोपेनहेगेन सम्मेलन में सहमति हुई थी, भारत ने कृषि क्षेत्र को छोड़ कर वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 2020 में जीडीपी की उत्सर्जन सघनता को कम करने के लिए अपनी स्वैच्छिक शमन कार्रवाइयों के बारे में यूएनएफसीसीसी सचिवालय को सूचित किया था।

30 जून 2008 को जारी राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) में जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निबटने की भारत की रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

4) जैविक प्रदूषकों (पीओपीज) पर स्टाकहोम कंवेंशन 2001 में अपनाया गया था जिसका लक्ष्य पीओपीज से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है। यह वर्ष 2004 से लागू हुआ। भारत ने इसे 2002 में हस्ताक्षरित किया और 2006 में इसकी पुष्टि की।

इसके अतिरिक्त भारत ने 2006 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति (एनईपी) भी अपनाई जिसमें "सतत विकास" की भावना को प्रस्तुत किया गया है। इसमें कहा गया है कि वह विकास सतत होता है जो पारस्थितिक बाधाओं और सामाजिक न्याय की अनिवार्यताओं को स्वीकार करता है। भारतीय वन अधिनियम 1927 को वनों, वन उत्पादों, इमारती लकड़ी और अन्य वन उत्पादों से संबंधित कानून को ठोस रूप देने के लिए बनाया गया था।

भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत एक मार्च 2002 को ऊर्जा सक्षमता ब्यूरो (बीईई) का गठन किया। इसका मिशन है भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा सघनता में कमी लाने के मुख्य उद्देश्य के साथ ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के समग्र ढांचे के भीतर स्व–नियमन और बाजार सिद्धांतों पर बल देते हुए नीतियां और रणनीतियां तैयार करने में सहायता प्रदान करना।

2015 के बाद के विकास एजेंडा पर भारत का दृष्टिकोण

भारत ने सतत विकास की चुनौतियों और मुद्दों की पहचान करने और उन्हें हल करने का ढांचा तैयार करने के लिए भी कदम उठाये हैं। 2015 के बाद के विकास एजेंडा पर आयोजित राष्ट्रीय परामर्श के दौरान भारत सरकार ने इस एजेंडा के मुद्दे पर प्राथमिक विचार प्रस्तुत किये।

1) 2015 के बाद के विकास एजेंडा का मुख्य केंद्र निर्धनता–उन्मूलन होना चाहिए जिसे सबसे बड़ी भूमंडलीय चुनौती के रूप में रिओ + 20 में चिन्हित किया गया था।

2) विकास एजेंडा "संवृद्धि केंद्रित" होना चाहिए जो विकासशील देशों में ठोस आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करे जो रोजगार जनन और सामाजिक समावेश के लिए आवश्यक है।

3) यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के विपरीत, 2015 के बाद के ढांचे को विकसित और विकासशील दोनों देशों पर लागू किया जाना चाहिए ताकि उत्तरदायित्वों और दायित्वों का अधिक समतापूर्ण समूह निर्मित हो सके।

4) विकसित देशों में उपभोग के ढांचों को उपयुक्त बनाने की मुख्य समस्या को 2015 के बाद के विकास एजेंडा द्वारा सार्थक रूप से हल किया जाना चाहिए।

5) एक कृषि–प्रधान देश होने के नाते भारत बढ़ते हुए जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को लेकर चिंतित है क्योंकि इससे देश की कृषि अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। कृषि का सीधा संबंध उस पर निर्भर करोड़ों लोगों की आजीविकाओं से है और भारत को कृषि को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय नीति में व्यवधान के प्रयास का विरोध करना चाहिए।

6) ऊर्जा तक पहुंच विकास को सक्षम बनाती है। रिओ+20 में टिकाऊ आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौम पहुंच को सहायता देने हेतु प्रतिबद्धता दर्शाई थी।

7) जेंडर सशक्तीकरण, जेंडर समानता और जेंडर का मुख्य धाराकरण भूमंडलीय विकास एजेंडा के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं बने हुए हैं। विशेष कर स्थानीय स्तरों पर निर्वाचित निकायों में निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

8) शिक्षा, विशेष कर प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर शिक्षा तक पहुंच विकासशील देशों की मुख्य प्राथमिकता बनी हुई है। इसी के साथ अर्थव्यवस्थाओं का विविधीकरण करने और सभी के लिए उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण की जरूरत है।

9) सुरक्षित पेय जल और बुनियादी स्वच्छता तक पहुंच में वृद्धि करना आवश्यक है। रिओ + 20 में यह कहा गया था कि जल पारिस्थितिक प्रणालियों का प्रबंधन संबंधित राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर किया जाना चाहिए।

10) विकासशील देशों के लिए और खास कर बड़ी संख्या वाले देशों के लिए खाद्य सुरक्षा मूलभूत महत्व की है।

2015 के बाद के विकास एजेंडा की सहयोगपूर्ण प्रकृति को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसे विकासशील देशों को दी जाने वाली मदद और आर्थिक सहायता के लिए शर्त नहीं बनाया जाना चाहिए।

ब्रिक्स राष्ट्र के रूप में भारत की भागीदारी 2015 के बाद के विकास एजेंडा के इस विचार की पुष्टि करती है। हाल में 50 बिलियन डालर वाले ब्रिक्स विकास बैंक की और दूसरे 100 बिलियन के आरक्षित निधि पूल की स्थापना इस विचार की ओर इंगित करती है कि सहायता संबंधी शर्तें अक्सर एमडीजी के मुख्य क्षेत्रों के व्यापक लक्ष्य को कमजोर बना देती हैं।

सतत विकास की चुनौतियां

1. निर्धनता

वर्ष 2005 में राष्ट्रीय निर्धनता रेखा पर निर्धनता हैडकाउंट अनुपात (आबादी का प्रतिशत) 37.2 प्रतिशत था जो 2012 में घट कर 21.9 प्रतिशत हो गया। देश की अच्छी जीडीपी वृद्धि दर (लगभग 9 प्रतिशत) के बावजूद भारत में अभी भी निर्धनता का बोलबाला है, खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भारत की 70 प्रतिशत आबादी रहती है। यह विश्व की सबसे अधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, फिर भी इसकी समृद्धि का आबादी के बीच पुनर्वितरण नहीं होता। इससे न केवल बेरोजगारी और अधोबेरोजगारी का मुद्दा सामने आता है, बल्कि असमानुपातिक आवास–समस्या भी खड़ी होती है।

भारत में निर्धनता – आंकड़े

- 6.53 प्रतिशत बेरोजगारी दर (2009–10)
- 50 प्रतिशत भारतीयों के पास उपयुक्त आश्रम नहीं हैं
- 70 प्रतिशत को ठीकठाक शौचालय सुलभ नहीं है (जिससे बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो रोग फैलाते हैं)
- 35 प्रतिशत पारिवारों को नजदीक में पानी का स्रोत उपलब्ध नहीं है
- 85 प्रतिशत गांवों में माध्यमिक स्कूल नहीं हैं
- इन्हीं 40 प्रतिशत गांवों के पास उन्हें जोड़ने वाली उपयुक्त सड़कें नहीं हैं

स्रोतः

- http://www.poverties.org/poverty-in-india.html
- http://planningcommission.nic.in/data/datatable/0814/table_112.pdf

निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के लिए उपयुक्त स्वच्छता सुविधाओं, अच्छे और गुणवत्तापूर्ण भोजन, सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था नहीं है। इसी वजह से वे असुरक्षित हो जाते हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित होते हैं। इसके अलावा निर्धनता के सभी संभावित परिणामों का बच्चों के जीवन पर असर पड़ता है। निम्न इंफ्रास्ट्रक्चर, बेरोजगारी, बुनियादी सेवा का अभाव और आय इन सबका प्रभाव उनकी शिक्षा के अभाव, कुपोषण आदि में देखा जा सकता है और बाल मजदूरी, तमाम तरह के रोगों इत्यादि का कारण बन सकता है।

हालांकि स्वास्थ्य पर सरकार के व्यय में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है और यह निर्धनता कम करने में एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है, पर निर्धनता स्वास्थ्य संपर्क पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

पर्यावरण ह्रास और निर्धनता निवारण, दोनों ही ऐसे भूमंडलीय मुद्दे हैं जिनमें काफी कुछ समान है, पर उन्हें अलग–अलग करके देखा जाता है। ऐसे मुद्दों पर पुनर्विचार की जरूरत है।

2. बुनियादी सेवाओं – ऊर्जा – भोजन – जल की असुरक्षाएं

आर्थिक संवृद्धि की उल्लेखनीय दरों के बावजूद आधी से अधिक आबादी भूख और सुरक्षित पेय जल तथा बिजली के अभाव से पीड़ित है। इन समस्याओं को हल करने के लिए एक मिलीजुली पद्धति अपनानी होगी जिसमें भोजन, जल और ऊर्जा के बीच अंतः संबंध बनाना होगा, न कि उन्हें एक दूसरे से अलग–थलग मुद्दों के रूप में देखना होगा। अतीत में यही स्थिति रही है और इसका कारण यह है कि ये संपर्क प्रबंधन के लिए भारी चुनौती होते हैं।

भारत विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत जल उपयोगकर्ता है। भूमिगत जल के प्रबंधन से निबटने वाली नीतियों और उपयुक्त ऊर्जा नीति के अभाव में भूमिगत जल का अत्यधिक शोषण हुआ है। इससे आपसी निर्भरता का एक गठबंधन भी उभर कर आया है जिसमें एक क्षेत्र (कृषि) की संवृद्धि को दो अन्य क्षेत्रों (भूमिगत जल और बिजली) के अस्थिरतापूर्ण रुझानों से मदद मिल रही है। स्थिति यह है कि कृषि के लिए खतरा खड़ा हो गया है।

भूमंडलीय भूख सूचकांक में भारत 65वें से 63वें स्थान पर आया है जो थोड़ा सा ही सुधार है। पर इस संबंध में भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं से पीछे बना हुआ

है। देश की स्थिति में 2012 में 22.9 से इस वर्ष 21.3 तक आने के कारण थोड़ा सुधार आया। भूमंडलीय हंगर इंडेक्स वार्षिक रिपोर्ट, 2013 (जीएचआई) के अनुसार 43.5 प्रतिशत बच्चों का वजन कम है और भारत में भूख का स्तर "चेतावनीपूर्ण स्तरों" पर बना हुआ है।

इसके बावजूद भूमिगत जल प्रबंधन के लिए जल–ऊर्जा गठबंधन पर चले विवाद में ऊर्जा पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया गया है और कृषि नीति की भूमिका की अपेक्षा की गई है।

केस स्टडी

सफल पहलकदमियां: राजस्थान में जल पंचायत

राजस्थान भारत का सबसे सूखाग्रस्त राज्य है जहां नियमित रूप से बार–बार सूखा पड़ता है। राज्य के बहुत से भागों को "डार्क जोन" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है क्योंकि यहां भूमिगत जल का स्तर अत्यंत निम्न है। इस संकट का उत्तर देते हुए तरुण भारत संघ संस्था की मार्च 1975 में अलवर जिले में स्थापना की गई थी। इस संस्था का मिशन यह था कि जौहड़ जैसे पारंपरिक जल संरक्षण ढांचों को फिर से जीवित किया जाए और नये ढांचों का निर्माण किया जाए।

संस्था ने इस संबंध में लोगों को पदयात्राओं और पंचायत बैठकें आयोजित करने के लिए लामबंद किया। संस्था ने वनीकरण कार्य हाथ में लेकर जल ढांचों के समग्र उपचार के लिए अपने कार्यकलापों का विस्तार किया। पिछले कुछ वर्षों में टीबीएस ने देशज टेक्नालॉजी और स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री के आधार पर 4500 से भी अधिक जल संग्रह ढांचे स्थापित किये हैं। अब समुदाय इन ढांचों का रखरखाव करता है। इस प्रक्रिया में ईंधन, चारे और खाद्यान्नों के लिए भूमि की क्षमता में वृद्धि हुई है। वाटरकोड के अंतर्गत आने वाली कृषिभूमि में 1985 में 20 प्रतिशत से इस समय 100 प्रतिशत तक की वृद्धि है। आजीविका स्तरों के विविधीकरण विशेषकर डेरी उद्योग के संदर्भ में, इस क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। अखारी, रूपारेल, सरसा, भगानी और जहाजवाली नदियां जो सूख चुकी थीं, अब फिर से बहने लगी हैं।

स्रोत: साउथ एशिया एन्वायरमेंटल आउटलुक, 2009 यूएनईपी

3. तीव्र शहरीकरण और औद्योगीकरण

पिछले कुछ वर्षों में भारत में तेजी से शहरीकरण हुआ है। 2004 में यह 28.9 प्रतिशत था और 2013 में 32 प्रतिशत था। इस समय 30 करोड़ भारतीय लोग शहरों और कस्बों में रहते हैं। 20–25 वर्ष कें अन्दर 30 करोड़ लोग भारतीय शहरों और कस्बों में शामिल हो जायेंगे। यह शहरी विस्तार बहुत ही तेजी से होगा। संवृद्धि सार्वजनिक अवसंरचना पर दबाव डालती है। इसमें बुनियादी स्वास्थ्य और स्वच्छता सेवाएं भी शामिल हैं।

वाहनों की संख्या के बढ़ने, पुराने वाहनों के चलते रहने और प्रभावकारी नियम–प्रवर्तन के अभाव की वजह से लगभग सभी भारतीय शहरों में प्रदूषण में योगदान हुआ है।

शहरीकरण और विकास कार्यकलापों, भूमि के ह्रास, और बेकार पानी के निबटान के लिए अपर्याप्त अवसंरचना की वजह से अधिकतर नदियों, जलधाराओं और झीलों के पानी की गुणवत्ता में, गिरावट आई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार वर्ष 2005–06 के दौरान प्रमुख भारतीय राज्यों में सीवेज उपचारण संयंत्रों में से 35 प्रतिशत संयंत्र नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रदूषित पानी बहाते रहे हैं। इससे सेक्टोरल प्रभाव भी पड़ता है। ऐसा तब होता है जब औद्योगिक रिसाव सीधे कृषि भूमि में जाता है जिससे मिट्टी और भूमिगत जल

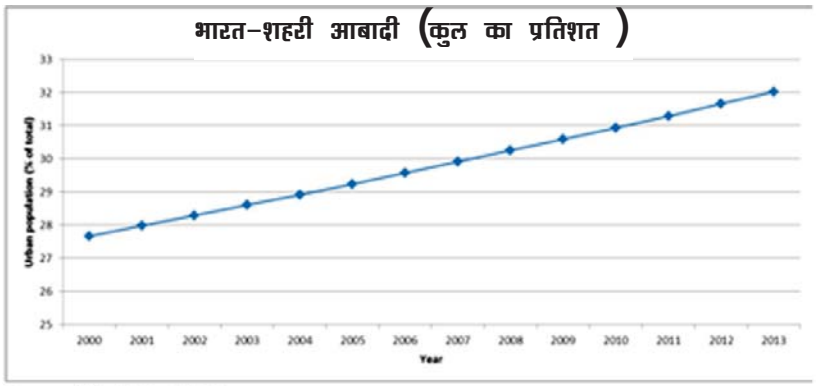

स्रोत–विश्व बैंक के आंगड़े

पर प्रभाव पड़ता है और पेय जल वाले कुंओं का पानी भी संभावित रूप से प्रदूषित होता है।

भारतीय शहरों में मुख्य चुनौती यह है कि नगरपालिका क्षेत्र का ठोस कचरा (एमएसडब्ल्यू) तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा कचरा जनन संयोजन (सीपीसीबी, 2005) में भी बदलाव आया है। प्लास्टिक का कचरा पर्यावरण की दृष्टि से एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है। हाल के आकलनों के अनुसार, देश में 2006 में 26,566 कचरा जनन इकाइयों के 4.4 एमटी की तुलना में 36,135 इकाइयों द्वारा 6.23 एमटी जोखिमपूर्ण कचरा पैदा हो रहा है।

उद्योगों के बढ़ते रुझान भी यह दर्शाते हैं कि पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, भूमि जल और भूमिगत जल और हवा (वायु) पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इन चिंताजनक रुझानों को देखते हुए यह जरूरी है कि विकास योजनाओं और प्रक्रियाओं में पर्यावरण को प्राथमिकता दी जाये।

आर्थिक संवृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को अलग करना कम और अधिक साफ संसाधनों की मानवीय और आर्थिक जरूरतों की पूर्ति के लिए वर्तमान विकल्पों का उपयोग करने की एक आवश्यक मार्गदर्शी अवधारणा है। सामान्य व्यवसाय की स्थितियों में यह देखा जाता है कि खनिज, अयस्क, लोहा, कोयला आदि और बायोमास के उपयोग में मानव संसाधन उपयोग वर्ष 2050 तक प्रति वर्ष तिगुना हो सकता है, जब तक कि संसाधन उपयोग को आर्थिक संवृद्धि से अलग नहीं किया जाता।

कुल मिला कर किसी भी राष्ट्रीय संवृद्धि योजना के लिए दो मुख्य पहलू आवश्यक हैं – संसाधनों को अलग करना और प्रभाव को अलग करना। अलग करने और विकास के बीच संबंध यह है कि संसाधनों में कमी की बढ़ती हुई आर्थिक और पर्यावरण लागतों और पर्यावरण के नकारात्मक प्रभाव ने दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, चीन और जापान जैसे कुछ देशों में आर्थिक संवृद्धि और विकास को प्रभावित किया है। इसके फलस्वरूप उन्होंने ऐसी नीतियां अपनाई हैं जो सरकारों और उद्योगों दोनों को उत्पादन की हर इकाई के लिए उपयोग किये जाने वाले संसाधनों की राशि कम करने और पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों में कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध करती हैं।

4. पारिस्थितिक ह्रास और जैव–विविधता की क्षति

अकेले भारत में 8 प्रतिशत विश्व की जैव विविधता है। यहां चार जैव विविधता हॉटस्पॉट भी है। यह जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र नेटवर्क के भीतर और बाहर से गंभीर खतरे की चपेट में है, जिस का कारण मुख्यतः पर्यावासों की क्षति है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूयसीएन) की रेड डाटा बुक के अनुसार भारत में 47 प्राणि प्रजातियां खतरे की चपेट में हैं (5 सितंबर 2011 तक)।

भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। 1991 के बाद से सरकार ने विशेषकर संरक्षित क्षेत्र (पीए) प्रबंधन के लिए, पारिस्थितिकी विकास हेतु निधियां निर्धारित की हैं और साथ ही स्थानीय समुदाय विकास के माध्यम से जैव–विविधता को बचाने के लिए विशेष कदम उठाये हैं।

परिस्थितिक ह्रास जल और कृषि योग्य भूमि जैसे संसाधनों की कमी का कारण बन सकता है। गैर–वनीकरण, सूखा और अनुचित तथा अनुपयुक्त रूप से कृषि कार्य सामान्यतः भूमि ह्रास के मुख्य कारण माने जाते हैं। भारत की खाद्य सुरक्षा के खतरे में होने के साथ ही 81 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर रेगिस्तानीकरण का खतरा है। पर्यावरण मंत्री, श्री प्रकाश जावडेकर का कहना है कि सरकार इस गंभीर खतरे को रोकने और कम करने की योजना बना रही है। मंत्री महोदय का कहना था कि अगर सभी महत्वपूर्ण हितधारक – पर्यावरण, कृषि, जल संसाधन और भूमि संसाधनों से जुड़े मंत्रालय एक साथ मिलकर एक साझी रणनीति को लेकर काम करें तो भारत 2030 तक "भूमि ह्रास मुक्त हो सकता है।"

5. जलवायु परिवर्तन प्रभावों, प्राकृतिक विपदाओं और जोखिमों से असुरक्षा

जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक विपदायें टिकाऊ विकास के लिए गंभीर खतरा खड़ा करती हैं। जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक इको प्रणालियों को प्रभावित कर रहा है और इसके भारत पर विशेषकर उसकी कृषि पर – जिस पर अपनी आजीविका के लिए 58 प्रतिशत आबादी निर्भर करती है – प्रतिकूल प्रभाव पड़

सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से अधिक बार बाढ़, सूखा और समुद्री तूफान भी आ सकते हैं। इसके फलस्वरूप भारत की खाद्य सुरक्षा और जल सुरक्षा प्रभावित होगी। नुकसानदेह सीओ2 गैसों का उत्सर्जन भी देखा गया है; वर्ष 2004 में यह प्रति व्यक्ति 1.2 मीट्रिक टन था जो 2010 में 40 प्रतिशत तक बढ कर लगभग 1.7 मीट्रिक टन हो गया।

जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक विपदाओं का निर्धनता से मजबूत संबंध है और ये वर्तमान समस्याओं के ऊपर और अधिक समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि देश इन जोखिमों से निबटने के लिए लचीलापन अपनाये।

कार्य के लिए ढांचा

हमारी अपनी सरकार सहित सरकारों के सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि कैसे राष्ट्रीय और उप–राष्ट्रीय नीतियों और कार्रवाई कार्यक्रमों में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को एकीकृत किया जा सके।

इसलिए आर्थिक प्रक्रियाओं में मानव संपदा का निर्माण करने और प्राकृतिक पूंजी बनाये रखने की जरूरत है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि 2015 के बाद के विकास एजेंडा के लक्ष्य और उद्देश्य सार्वभौम हों। वे ऐसे हों कि हमारे समाज के सभी तबकों पर लागू हो सकें और टिकाऊपन की दिशा में तीव्र बदलाव ला सकें।

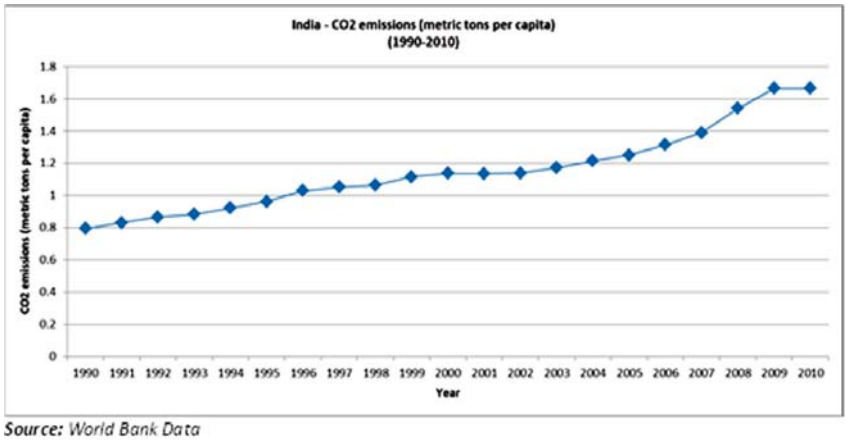

Source: World Bank Data

व्यवस्थित बदलाव दोनों स्तरों पर यानी विकास परिणामों की दृष्टि से और साधनों (जोखिमों की पहचान; मूल कारणों को हल करना; समावेशपूर्ण और टिकाऊ विकास के लिए परिवर्तन के मुख्य चालकों को तीव्र करना) की दृष्टि से होना चाहिए। इसका संबंध वर्तमान ढांचों (भौतिक और आर्थिक अवसंरचना), संस्कृति (मूल्यों, मानदंडों, प्रारूपों का सामूहिक समूह) और व्यवहारों (व्यवहार, कार्यान्वयन और तरीकों) से है।

निर्धनता का उन्मूलन करने के लिए एक मानव सुरक्षा निर्मित करने वाले प्रतिमान (आय, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्राकृतिक विपदा) की तथा जनसंख्या वृद्धि तथा उसके प्रभावों का प्रबंधन करने की जरूरत होगी। मानव सुरक्षा निर्मित करने के लिए महत्वपूर्ण विशिष्ट कार्रवाइयां नीचे बताई गई हैं। इनमें से प्रत्येक सुलभता, वहनीयता और उपलब्धता के तीन स्तंभों पर आधारित है।

- आय सुरक्षा को प्रोन्नत करना
- स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना
- प्राकृतिक विपदाओं से सुरक्षा प्रदान करना
- जनसंख्या वृद्धि का प्रबंधन करना

शहरीकरण और औद्योगीकरण का प्रबंधन: टिकाऊ साधनों के माध्यम से और बढ़ती निर्धनता तथा असमानता को हल करने के लिए शहरी और औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर नीतियां होनी चाहिए। इन कदमों में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

सामाजिक प्रणालियों में बदलाव	आर्थिक प्रणालियों में बदलाव	पारिस्थितिक प्रणालियों में बदलाव	अभिशासन प्रणालियों में बदलाव
निर्धनता और असमानता को दूर करना, "किसी को पीछे नहीं छोड़ना"	समावेशपूर्ण और हरित से वृद्धि हासिल करना	स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित करना	पारदर्शी, जवाबदेह और भागीदारीपूर्ण संस्थाओं का निर्माण करना

चित्र: सिस्टेमेटिक ट्रांस्पामर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट

- शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में संतुलन सुनिश्चित करने के लिए एक समेकित दृष्टिकोण को प्रोन्नत करना।
- विपदा जोखिम में कमी, लचीलेपन और क्षेत्रीय नियोजन में पर्यावरण जोखिमों पर विचार करना।
- रसायनों और कचरे के तकनीकी और पर्यावरण की दृष्टि से स्वास्थ्य प्रबंधन को प्रोन्नत करना।
- स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के बारे में जन जागरूकता पैदा करना।
- "उपयोग के अनुसार भुगतान" नियमों जैसे नवाचारपूर्ण कार्यों को जो पेयजल, घरेलू उपयोग के जल, मवेशी, सिंचाई, औद्योगिक उपयोग के बारे में पानी की उचित लागत को प्रोन्नत करते हैं – प्रोन्नत करना।
- पानी के प्रभावकारी निष्कर्षण, उपचार, भण्डारण और समतापूर्ण वितरण के लिए नवाचारपूर्ण वित्त और साझेदारियों का निर्माण करके पानी की उपलब्धता को बढ़ाना।

किसी भी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रणालियों और उपयोग ढांचों दोनों में टिकाऊपन आवश्यक होता है। व्यक्तिगत और सामूहिक उपयोग को भी इसके अंतर्गत आना चाहिए। इस संबंध में सुझाये गये उपाय या कदम इस प्रकार हैं:

- अधिक हरित (ग्रीनर) और साफ उत्पादन प्रणालियों के लिए वित्तीय सहायता
- विकेंद्रीकरण और उत्पादन तथा वितरण प्रणालियों का विस्तार करना
- कराधान का बोझ उत्पादन से उपयोग कर लाना

जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपदाओं और जोखिमों का शमन

भारत की विकास योजनाओं में आर्थिक विकास और पर्यावरण सरोकारों के बीच संतुलन बिठाया जाना चाहिए। इस दिशा में अनेक कदम उठाये जा सकते हैं जिनमें निम्नलिखित कदम शामिल हैं:

- विभिन्न हितधारकों की जागरूकता को बढ़ाना
- विपदा जोखिम कमी (डीआरआर) और जलवायु परिवर्तन (सीसीए) योजनाओं को विकास नियोजन की मुख्य धारा में लाना।

- विपदा पूर्वानुमान और विपदा के बाद की स्थिति के प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय और भूमंडलीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर जोखिम आकलन, मानचित्रण, मॉनीटरिंग और सतर्कता प्रणालियों के माध्यम से विपदा तैयारी को मजबूती प्रदान करना।

जैव–विविधता हासिल करना: उप–क्षेत्रीय जैव–विविधता की क्षति का भारत के लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस संदर्भ में देश के लिए कार्रवाई की कुछ मुख्य प्राथमिकताएं इस प्रकार हैं:

- इको–प्रणाली आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
- उप–क्षेत्र की जैव विविधता का आकलन, मानचित्रण और दस्तावेजीकरण जारी रखना।
- पारंपरिक ज्ञान को और विशेषकर स्थानीय समुदायों, देशज लोगों और महिलाओं के बीच पुनर्जीवित करना।
- मृदा क्षरण, भू–स्खलन और रेगिस्तानीकरण से होने वाली क्षति को कम से कम करना।

जल–खाद्य–ऊर्जा सहमेल का प्रबंधन

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसमें निम्नलिखित कदम शामिल हो सकते हैं:

- सार्वजनिक वितरण प्रणालियों को मजबूत बना कर भोजन तक पहुंच में सुधार लाना।
- उपयुक्त कीमतों की व्यवस्था करके लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाना।
- पोषण, और केवल "भोजन" नहीं।
- बदलते मौसम के ढांचों के उत्तर में फसलों की नई किस्में और कृषि टेक्नालॉजी का विकास करना।

ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना – इसमें निम्नलिखित कदम शामिल हो सकते हैं:

- विश्वसनीय, आर्थिक रूप से सक्षम और पर्यावरण की दृष्टि लाना।
- ग्रामीण विद्युतीकरण, विकेंद्रित ऊर्जा प्रणालियों और राष्ट्रीय नवाचार तथा क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से शाश्वत ऊर्जा स्रोतों का विस्तार करना।
- क्षेत्र में नवीकरणीय विकेंद्रित प्रणालियों को प्रोत्साहन देकर कीमतों को विनियमित करना।

- स्वच्छ ऊर्जा/ऐसी ऊर्जा सक्षम टेक्नालॉजियों को अपनाना जो जलवायु के प्रति मैत्रीपूर्ण हों और व्यावसायिक रूप से सक्षम हों।
- शोध और ऊर्जा सक्षमता को और मिलीजुली ऊर्जा के विविधीकरण को प्रोन्नत करना।

जल सुरक्षा प्रदान करना – इस संबंध में कुछ कदम इस प्रकार हो सकते हैं:

- समेकित जल संसाधन प्रबंधन (आईडब्ल्यूआरएम) को मजबूत बनाना।
- पानी के उपयोग का विनियम करके, भूमिगत जल को बढ़ाकर और बेकार पानी की रिसाइक्लिंग करके सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण पानी की सुलभता में सुधार लाना।

नीति सूचीकरण प्रक्रिया और संस्थाओं को मजबूत बनाना

निजी सूत्रीकरण प्रक्रिया में कुछ कमियां हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- ढांचे में अत्यधिक विखंडन: भारत में नीति निर्माण की एक मुख्य समस्या ढांचे का अत्यधिक विखंडन है। उदाहरण के लिए, परिवहन विभाग का काम भारत के पांच विभाग/मंत्रालय देखते हैं। इसकी वजह से यह समझ नहीं आता कि एक क्षेत्र द्वारा की गई कार्रवाई के दूसरे क्षेत्र के लिए क्या गंभीर निहितार्थ हो सकते हैं।
- नीति निर्माण और कार्यान्वयन में अत्यधिक दोहराव–दूसरी समस्या यह है कि कार्यान्वयन, कार्यक्रम सूत्रीकरण और नीति निर्माण में अत्यधिक दोहराव है जिसकी वजह से सार्वजनिक जरूरतों की बजाय कार्यगत सुविधा पर ध्यान देने की प्रवृत्ति पैदा होती है।
- गैर–सरकारी निवेशों और जानकारीयुक्त चर्चा का अभाव – अक्सर सार्वजनिक नीति को सरकार से बाहर से राय प्राप्त किये बिना और मुद्दे पर पर्याप्त चर्चा किये बिना कार्यान्वित किया जाता है।
- जानकारी में कमियां – नीति निर्माण आवश्यक रूपसे डाटा (तथ्यों और आंकड़ों पर) आधारित होता है और भारत में सामाजिक कार्रवाई के अनेक क्षेत्रों में डाटा कमजोर और अविश्वसनीय है।
- निम्न स्तर का कार्यान्वयन – आम तौर पर नीतियों का कार्यान्वयन स्थानीय राजनीति द्वारा मजबूती और गहराई के साथ प्रभावित होता है।

नीचे नीति निर्माण/सूत्रीकरण की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रस्तावित कदम बताये गये हैं।

- विखंडन में कमी और समेकन का विस्तार – सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए स्पष्ट भूमिकाएं और उत्तरदायित्व निर्धारित करने से काफी मदद मिल सकती है। पहला सुधार होगा विखंडन में कमी लाना। इसका मतलब है कम संख्या में सचिव जिनमें से प्रत्येक एक से अधिक सेक्टरों का काम देखेगा। इसके परिणामस्वरूप कहीं अधिक आसानी से समन्वय और समेकन हासिल किया जा सकेगा।
- *सहभागिता को मजबूत बनाना* – सहभागितापूर्ण नियोजन से स्वायित्व की भावना का जन्म होता है जो किसी भी विकास हस्तक्षेप के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे विभिन्न नागरिक समाज की संख्याओं (सीबीओज, एनजीओज), निगमित निकायों, अकादमिक संस्थाओं, शोध संगठनों और ट्रेड यूनियनों को शामिल करके किया जा सकता है।
- अभिशासन के कार्यतंत्रों को मजबूत बनाना – देश की सामाजिक विकास चुनौतियों को हल करने के लिए यह जरूरी है कि नियोजन की निम्नतम इकाई के स्तर पर एक मजबूत डाटा और सूचना आधार मौजूद हो।

भूमंडलीय दृष्टि से सतत विकास साझे बिंदुओं पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा ही हासिल किया जा सकता है – जैसे कि सीमा–पार पर्यावरण प्रभाव, जैव संसाधन प्रबंधन, टेक्नालॉजी में हिस्सेदारी, साझे समुद्र संबंधी मुद्दे। स्थानीय स्तर पर टिकाऊ विकास के अनुभवों से भूमंडलीय स्तर पर सतत विकास आंदोलन को मजबूत बनाने में काफी मदद मिलेगी। क्योंकि दक्षिण देश या विकासशील देश एक जैसी पर्यावरण और विकास समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इसलिए सतत समाधान हासिल करने के लिए भूमंडलीय मंचों पर उनकी समस्याओं को सामूहिक रूप से प्रस्तुत करना और भी जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही ऐसे कार्यतंत्र विकसित करना भी जरूरी है जो विभिन्न भूमंडलीय समझौतों के अंतर्गत अपनी–अपनी प्रतिबद्धताओं की दिशा में अलग–अलग राष्ट्रों के अनुपालन की मॉनीटरिंग को सुगम बना सकें।

वाणी के प्रकाशनों की सूची

- नागरिक समाज की जवाबदेही के सिद्धांत और व्यवहार (अंग्रेजी)
- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समर्थकारी वातावरण – एक भूमंडलीय अभियान (अंग्रेजी)
- स्वैच्छिक संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय सुशासन के लिए मॉडल नीतियां
- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए सुशासन पर एक हैंडबुक
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र की स्थिति (प्राईमर) (हिंदी और अंग्रेजी)
- सहायता प्रभावकारिता चर्चा में नागरिक समाज की संलग्नता
- स्वैच्छिक संस्थाओं और निजी क्षेत्र के बीच बदलती गतिशीलता
- सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में स्वैच्छिक संस्थाओं को शामिल करना
- भारत के भूमंडलीय पदचिन्ह
- भारत की विकास सहयाताः रुझान, चुनौतियां और सीएसओज के लिए निहितार्थ
- जी 20 में भारत की भूमिकाः एक नागरिक समाज दृष्टिकोण
- धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां (अंग्रेजी और हिंदी)
- महिलाओं के साथ काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां (अंग्रेजी और हिंदी)
- स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका और योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- जमीनी स्तर की स्वैच्छिक संस्थाओं की चुनौतियां – अध्ययन रिपोर्ट का प्राईमर (अंग्रेजी और हिंदी)
- जल और स्वच्छता के संबंध में स्वैच्छिक क्षेत्र की संस्थाओं की भूमिका और योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- दलितों को लेकर कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां
- शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, जल और स्वच्छता के विषयगत मुद्दों को लेकर काम करने में सीएसआर का योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति पर पुनर्विचार और राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्य नीति की जरूरत (अंग्रेजी और हिंदी)
- राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति पर पुनर्विचार और राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्य नीति का नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिंदी)
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समर्थकारी वातावरण – एक अध्ययन रिपोर्ट (अंग्रेजी)

हेनरिक बोल फाउंडेशन का परिचय

"हेनरिक बोल फाउंडेशन (एचबीएफ) जर्मनी की एक पर्यावरण–उन्मुख राजनीतिक फाउंडेशन है जो ग्रीन्स/एलाएंस से जुड़ी है। इसका मुख्यालय बर्लिन में है। आज अपने 30 अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों के माध्यम से हेनरिक बोल फाउंडेशन विश्व भर में नागरिक शिक्षा कार्यकलाप और परियोजनाएं चलाती है और उन्हें सहायता प्रदान करती है।

एचबीएफ अपने को एक पर्यावरण उन्मुख विचार–संस्था और अंतर्राष्ट्रीय नीति नेटवर्क के रूप में देखती है जो कि सरकारी और गैर–सरकारी कार्य–पक्षों के साथ कार्य करता है और जेंडर समानता, टिकाऊ विकास और जनतंत्र तथा मानव अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करता है।

भारत में वर्ष 2002 से अपनी उपस्थिति के साथ एचबीएफ का भारत कार्यालय देश में हितधारकों और साझेदारों के साथ पारस्परिक संपर्क का समन्वयन करता है। इसके कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्रों में जलवायु और संसाधन नीति, जेंडर परिप्रेक्ष्य से सामाजिक–आर्थिक नीति, जनतंत्र की गतिशीलता और नयी भूमंडलीय व्यवस्था में भारत की भूमिका शामिल हैं।"

वाणी का परिचय

वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी) स्वैच्छिक संस्थाओं का एक शीर्ष निकाय है। वर्ष 1988 में स्थापित यह संस्था स्वैच्छिक क्षेत्र के प्रोन्नतिकर्ता/संरक्षरक और उसकी सामूहिक आवाज के रूप में कार्य करती है।

वाणी का आधार

- भारत के 25 राज्यों में फैली 8000 स्वैच्छिक संस्थाएं हैं।
- यह स्वैच्छिक क्षेत्र के संबंध में प्रकाशनों, शोध, लेखों और जानकारी का एक संसाधन केंद्र है।

लक्ष्य

- एक मंच में रूप में स्वैच्छिकवाद को बढ़ावा देना और स्वैच्छिक कार्रवाई के लिए जगह बनाना।
- एक नेटवर्क के रूप में भारत में स्वैच्छिक कार्रवाई का एक सचमुच राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करने के लिए क्षेत्र के साझे मुद्दों और सरोकारों को एकीकृत करना। इसके अलावा वाणी बदलाव के एकजुट और टिकाऊ आंदोलन को मजबूत बनाने की दिशा में भारतीय स्वैच्छिक क्षेत्र के विभिन्न प्रयासों और पहलकदमियों के बीच संपर्क बनाती है।
- एक एसोसिएशन के रूप में; मूल्य आधारित स्वैच्छिक कार्रवाई और विशेषकर अपने सदस्यों के बीच दीर्घकालिक टिकाऊपन को पोषित की दिशा में कार्य करना।

कार्य के क्षेत्र

- स्वैच्छिक क्षेत्र में सुशासन के तौर–तरीकों को बढ़ावा देना
- नेटवर्कों को मजबूत बनाना
- स्वैच्छिक क्षेत्र की स्वतंत्र आवाज को रूप प्रदान करना
- स्वैच्छिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली नीतियों और कानूनों के संबंध में शोध और पैरवी करना।

वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
बीबी–5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश 2, नई दिल्ली 110 048
फोन : 01129228127, 29226632, टेलिफैक्सः 011–41435535
ईमेलः info@vaniindia.org,
वेबसाइटः www.vaniindia.org